services are given to the off-springs born out of inter-caste marriages while keeping in view the above clarifications.

Displaying of contents and price on the bottles

2323. SHRI MIRZA IRSHADBAIG: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the contents as well as the prices are to be displayed on every type of bottle filled with the material for sale in the open market including the hard liquor;

(b) whether it is also a fact that neither contents nor prices are displayed on the soft drink bottles;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) what remedial steps Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI GHULAM NABI AZAD) : (a) The contents, the sale price and other information are to be displayed on packaged commodities including bottled commodities unless specifically exempted under the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977.

(b) The contents are required to be indicated on the soft drink bottles. These are, however, exempted from the declaration of sale price.

(c) and (d) The rules have been framed keeping in view the interests of consumers and industry, and developments in packaging which are reviewed from time to time.

प्लाटों/फ्लैटों वाले व्यक्तियों को प्लाटों/फ्लटों का आवंटन

2324. **श्री लक्ष्मी नारायण** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन से नियम हैं जिनके अधीन कोई व्यक्ति दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दूसरे फ्लैट/प्लाट के आवंटित किये जाने के लिए पात्र नहीं होता है जो कि पहले से ही एक फ्लैट/प्लाट का मालिक है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त नियम का उल्लंघन करके रिंग रोड के साथ स्थित जे०जे० कालोनी मोती बाग-2 नई दिल्ली के आवंटितियों को पुनः प्लाटों का आवंटन किये जाने का कोई प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो इन प्लाटों के कब तक आवंटित किये जाने की संभावना है और इस नियम का उल्लंघन किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बात के क्या कारण हैं कि सरकार वहां रहने वाले अन्य आवंटियों को इस प्रकार की सुविधा के लिए अयोग्य समझती है जबकि रिंग रोड के साथ स्थित आवंटियों को वह सुविधा प्रदान की जा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) ये नियम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)।

(ख) से (घ) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यदि कोई छूट दी जाती है तो वह एक समान रूप से लागू होगी और न कि किसी कालोनी विशेष के लिए।

विवरण

फ्लैटों के आवंटन का नियम

दिल्ली विकास प्राधिकरण के विनियमनों (आवास सम्पदा का प्रबन्ध तथा निपटान) का पैरा 7 आवंटन की पात्रता पर कार्रवाई करता है और इस प्रकार से पठित है :--

"प्राधिकरण की आवास सम्पदा में एक रिहायशी एकक अथवा फ्लैट केवल उसी व्यक्ति को